

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

फिशालाल बनाम जयकिशन

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 218/2021 (9) 'पत्र

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/11/2021	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>फिशालाल - लीला - पुजा</u></p> <p>पिता श्री <u>रामेश्वरदास ना.बा. मता कुन्वाइ w/o स्व. रामेश्वरदास</u></p> <p>निवासी- <u>गोरस्या</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम</p> <p><u>गोरस्या (प.६.वि.प्रपुर)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर...।।</p> <p>कुल कीता <u>1</u> कुल रकबा <u>0.4200</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>गोरस्या (प.६.वि.प्रपुर)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>11</u></p> <p>कुल कीता <u>1</u> रकबा <u>0.4200</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500=00</u> रूपये अक्षरे <u>पांच</u> जो <u>ज.प्र. म.प्र.</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(श्याम सुन्दर बिश्नोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p> 